माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 द्वारा लॉक डाउन अवधि के दौरान न्यायालयीन कार्यवाहियों को वर्च्युल हियरिंग व विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा संपादित किये जाने हेतु प्रदत्त निर्देशिकाओं

का हिंदी रुपांतरण —

अधिवक्ताओं/पक्षकारों के द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निर्देश –

1– प्रस्तुत किये जा रहे आवेदनों में किन तथ्यों का उल्लेख होगा :–

ए– आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरण के अति आवश्यक होने का कारण ।

बी– आवेदन, पक्षकार/अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, उक्त हस्ताक्षरित आवेदन की **स्कैन्ड कॉपी** को **पी.डी.एफ.** फार्मेट में ही प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

सी– प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की पी.डी.एफ. कॉपी कम से कम साईज का हो व जिसमें किसी भी प्रकार का ईमेज नहीं होगा ।

डी– प्रस्तुत किये जा रहे आवेदन/दस्तावेज की हार्ड कॉपी एवं न्याय शुल्क स्थिति सामान्य होने पर संबंधित कोर्ट के खुलने के 72 घंटों की अवधि में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अडंरटेकिंग दिया जाना होगा।

ई– प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरण की सुनवाई विडियो कान्फ्रेंसिंग से किये जाने के संबंध में सहमति पत्र भी दिया जाना है ।

एफ– इस प्रकार उपरोक्त आवेदन, दस्तावेज एवं अंडरटेकिंग एवं सहमति पत्र को जिला न्यायालय, बिलासपुर के ई–मेल आई.डी– bilaspur.court@nic.in में प्रेषित किया जाना होगा ।

जी– आवेदन/याचिका प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता को अपना अधिवक्ता क्रमांक/मोबाईल नंबर/ई–मेल आई.डी. भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा । अधिवक्ता को जिला अधिवक्ता संघ का पंजीयन क्रमांक एवं फोटो आई.डी. का साफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत किया जाना होगा ।

नोट– अपूर्ण, अस्पष्ट व अधुरे आवेदनों को विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन प्राप्त होने के उपरांत की प्रक्रिया :–

ए– प्रेषित ई–मेल को जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय के कार्य दिवस के कार्य अवधि में खोला जावेगा ।

बी– जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आवेदन को अति आवश्यक होना पाये जाने पर ही पंजीयन हेतु संबंधितों को आदेशित किया जावेगा ।

सी– प्रकरण को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये जाने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना संबंधित न्यायालय के द्वारा संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को उनके दुरभाष अथवा ई–मेल एड्रेस पर उन्हें प्रदाय की जावेगी।

डी– विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत तिथि एवं समय पर विडियो कान्फ्रेंसिंग का लिंक प्रेषित किया जावेगा तथा उक्त लिंक के माध्यम से निर्धारित समय पर प्रकरण की सुनवाई हेतु उभयपक्ष को उपस्थित रहना आवश्यक होगा। निर्धारित समय पर उभयपक्ष के उपस्थित नहीं होने से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुनः सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

ई– उक्त लिंक संबंधित प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित समय के लिये ही उपयोगी होगा ।

एफ– संबंधित अधिवक्ता को इस बात का ध्यान रखा जाना होगा, कि उक्त लिंक किसी अन्य को किसी भी परिस्थिति में शेयर नहीं करना है ।

<u>विडियो कान्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होने हेतु प्रकिया :–</u>

ए– संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार का वेबसाईट http://ecourtvc.nic.in से अपने लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप हेतु VIDYO DESKTOP डाउनलोड करना होगा ।

बी– मोबाईल के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंसिंग में सम्मिलित होने हेतु एंड्राईड डिवाईस के लिये गूगल प्ले स्टोर से तथा आई.ओ.एस. डिवाईस के लिये एप्पल प्ले स्टोर से VIDYO MOBILE डाउनलोड करना होगा ।

सी– डेस्कटॉप अथवा मोबाईल में उपरोक्तानुसार एप्लीकेशन इंस्टाल होने के उपरांत विडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु प्राप्त लिंक के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंसिंग में सम्मिलित हुआ जा सकेगा।

डी– अधिवक्ता को उसके वाट्सअप नंबर अथवा ई–मेल पर लिंक प्रेषित किया जावेगा ।

ई– अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर के द्वारा निर्धारित किए गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से करें ।

उक्त संपुर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या आने की स्थिति में संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा निम्न ई–मेल एड्रेस पर अपनी तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित रुप से निवेदन करें –

bilaspur.court@nic.in